2025/45

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — बनाम — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री यशवंत रांगी पुत्र श्री मंछाराम
निवासी 132, राधिका द्वितीय
तहसील सिरोही
जिला सिरोही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार सिरोही

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 15 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
28.03.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही को दिनांक 02.01.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि गांव माकरोडा पटवार हल्का माकरोडा में खसरा संख्या 630, 631 में जो गैर कृषि भूमि के लिए की गई रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ हीं गैर कृषि भूमि का आधार तथा गांव माकरोडा में वर्ष 2023–24 में पटवार हल्का द्वारा निकाले गए सभी 91 के नोटिस की जानकारी तथा वर्ष 2023–24 में तहसीलदार सिरोही द्वारा रिपोर्ट की गई उसकी प्रत्येक की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही को दिनांक 02.01.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि गांव माकरोडा पटवार हल्का माकरोडा में खसरा संख्या 630, 631 में जो गैर कृषि भूमि के लिए की गई रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ ही गैर कृषि भूमि का आधार तथा गांव माकरोडा में वर्ष 2023–24 में पटवार हल्का द्वारा निकाले गए सभी 91 के नोटिस की जानकारी तथा वर्ष 2023–24 में तहसीलदार सिरोही द्वारा रिपोर्ट की गई उसकी प्रत्येक की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांट की अपी[illegible] सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही को आदेशित किया ज[illegible] है [illegible] अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नि[illegible] सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक [illegible] अपीलांट को सूचित करें। नि[illegible] सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल [illegible]र होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.09.19 17:39:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner